सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –01/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. अर्जुन पुत्र स्वर्गीय कजोड रेगर निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. श्रीमति सजनी पत्नि स्व.नाथु पुत्र मांगीलाल
2. श्रीमति मंजू पुत्री स्व.नाथु पुत्र मांगीलाल
3. कंचन पुत्री स्व.मागीलाल
   समस्त जाति रेगर निवासीगण कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
4. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार **केम्प कादेडा** में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **188,92ए,53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्रामकादेडातहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 148के खसरा नम्बर कुल किता 19 रकबा 12.37 है. सहखातेदार दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात में गलकू पत्नि मांगीलाल व नाथू पुत्र मांगीलाल का 2/10 हिस्सा व अर्जुन पुत्र कजोड का 8/10 हिस्सा दर्ज है। कजोड के दो पुत्र अर्जुन व मांगीलाल वाद पत्र में सजरा अंकित है। सजरा अनुसार मांगीालाल फोत है मांगीालाल के वारिसान गलकू पत्नि फोत, नाथु पुत्र फोत, कंचन पुत्री जो कि वाद पत्र में अप्रार्थी स. 3 है। नाथु के वारिसान सजनी पत्नि ,मन्जू पुत्री जो कि वाद पत्र में अप्रार्थीगण 1 व 2 है। वादग्रस्त भूमि में वादी 8/10 व प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 का 2/10 हिस्से के सह खातेदार है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वाद वर्णित भूमि के 8/10 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैएवं वादी के हिस्से की भूमि को बेचने की धमकी दे रहे है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा विभाजन किये जाने के साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। वादी उप. । प्रतिवादीगण 3 की और से अधिवक्ता श्री रमेश मीणा उप.। एवं बकाया प्रतिवादीगण की जर्ये रजि.एडी. तलबी की गई।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुयी। प्रतिवादी स. 3 की और से सहमति का जवाब पेश किया जिसे पत्रावली किया गया। जवाब अंकित तथ्यो के अनुसार प्रतिवादी स. 3 कंचन ने वादग्रस्त भूमि खसरानम्बर 140 व 143 पर मौके का अपना कब्जा होना जाहिर किया है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौका एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 148 के खसरा नम्बर कुल किता 19 रकबा 12.37 है. है। भूमि का मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी